

कार्यालय

उपनिदेशक

फायर

सर्विस

मेरठ

परिक्षेत्र।

पत्रांक:म-135/डी0डी0/फा0स0/मेरठ-14(जीएन)
सेवा मे,

473

दिनांक: मई 22 2015,

महाप्रबन्धक (वास्तु एवं नियोजन)

यमुना एक्सप्रेस वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण

ग्रेटर नोएडा गौतमबुद्धनगर।

विषय:

मैसर्स वी0जी0ए0 डवलपर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जीएच0-पी0-04, सेक्टर-25, जेपी0ग्रीन स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर मे प्रस्तावित गुप हाउसिंग भवन के निर्माण हेतु संशोधित मानचित्रों के अनुसार प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण निर्गत किये जाने के सम्बन्ध मे।

यूआईडी:

2014/9527/जीवीएन/गौतमबुद्धनगर/1723/डीडी दिनांक: 08-05-2015

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आवेदक द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक: 08-05-2015 के माध्यम से उक्त प्रश्नगत प्लॉट पर भवन निर्माण हेतु मानचित्र एवं प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराते हुए प्रेवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत भवन के स्थल का निरीक्षण एवं मानचित्रों का अध्ययन अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-प्रथम ग्रेटर नोएडा से कराया गया तो उनके द्वारा अपनी आख्या दिनांक: 18-05-2015 मुख्य अग्निशमन अधिकारी गौतमबुद्धनगर को उपलब्ध करायी गयी जिसका उनके द्वारा सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण कर अपनी संस्तुति आख्या अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराई गई जिसका सुसंगत मानको के अनुसार परीक्षण किया गया विवरण निम्नवत है:-

भवन की संरचना:-कूल प्लॉट एरिया-20,071.00 वर्ग मी0 है। प्रश्नगत भवन को इस कार्यालय के समांक पत्र दिनांक: 14-08-2014 के माध्यम से प्रोवीजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, जिसमे वर्तमान मे कतिपय संशोधन किये गये है विवरण निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम टावर	तलों की संख्या		भूतल कवर्ड एरिया		टिपिकल कवर्ड एरिया		ऊँचाई मी0 मे	
		पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान	पूर्व	वर्तमान
1	टावर-ए0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+18	544.206	526.812	475.394	526.812	56.250	57.03
2	टावर-बी0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+18	544.206	526.812	475.394	526.812	56.250	57.03
3	टावर-सी0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+17	553.637	563.244	519.605	519.605	56.250	54.07
4	टावर-डी0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+18	569.482	573.141	592.341	592.471	56.250	57.03
5	टावर-ई0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+18	569.482	573.141	592.341	592.471	56.250	57.03
6	टावर-एफ0	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 17	बी+एस+17	566.574	563.244	514.256	517.916	56.250	54.07
7	विलाज-16	02बेस0,स्टिल्ट/भूतल एवं 02		1305.999	1305.999	1288.719 /637.098	1288.719 /637.098		
8	कम्युनिटी	भूतल		264.065	264.065	-		-	
11	लोवर बेसमेन्ट	16,139.48	-						
12	अपर बेसमेन्ट	16,139.48	16,139.48						

भवन का अधिभोग विवरण:-प्रस्तावित भवन का अधिभोग आवासीय अपार्टमेन्ट (एन0बी0सी-2005 आवासीय श्रेणी ए0-4) के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

डांचागत व्यवस्था:-

1-पहुँच मार्ग:- भूखण्ड के सामने मानचित्रों मे रोड की चौड़ाई मानको के अनुसार अंकित की गई है तथा दूसरी तरफ भी रोड है जो भवन विनियमावली के मानको के अनुसार है तथा प्रवेश द्वार जिनकी चौड़ाई एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।

2- सैटबैक:- प्रस्तावित भवन का सैटबैक निम्नवत है:-

ए0-अग्रभाग-15.00 मी0।

डी0-पृष्ठ भाग-09.00 मी0।

सी0-पार्श्व भाग प्रथम-09.00 मी0।

डी0-पार्श्व भाग द्वितीय-09.00 मी0 प्रस्तावित है।

उपरोक्तानुसार भवन विनियमावली मानको के अनुसार है जो सदैव हार्ड सरफेस युक्त एवं अवरोध मुक्त रखे जाये जिसमे किसी प्रकार का स्थाई/ अस्थायी निर्माण कार्य अनुमन्य नहीं होगा तथा टावरों के चारो ओर 06 मीटर का मोटरबुल हार्ड सरफेस युक्त खुला स्थान रखा जाना अनिवार्य है।

3- निकास मार्ग:- प्रस्तावित भवन के प्रत्येक टावर मे 02 स्टेयरकेश प्रस्तावित है प्रत्येक स्टेयर की चौड़ाई 01.50 एवं 01.25 मी0 प्रस्तावित है, तथा बेसमेन्ट में 02 अतिरिक्त रैम्प एवं लिफ्ट प्राविधानित है। जिनकी फ्लोर के समस्त स्थानों से ट्रेवलिंग डिस्टेन्स अधिकतम अनुमन्य सीमा के अन्तर्गत है तथा एक स्टेयर को फायर टावर के रूप मे निर्मित किया जायेगा। बेसमेन्ट की छत अग्निशमन वाहनों हेतु 75 टन भार क्षमता की निर्मित की जानी अनिवार्य होगी।

(एच० एस० मलिक)
उपनिदेशक फायर सर्विस
मेरठ

- 4- रिफ्यूज एरिया:- भवन में प्रत्येक फ्लैट पर बालकनी का प्राविधान है जो एन0बी0सी0 मानक के अनुसार है।
- घ-अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था:- एन0बी0सी0 2005 के अनुसार निम्नांकित अग्निशमन व्यवस्थाएँ कराया जाना वाँच्छनीय है।
- 1-भूमिगत:-प्रश्नगत भवन में अग्निशमन कार्य हेतु 2,00,000 दो लाख पचास हजार लीटर क्षमता का भूमिगत टैंक एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है जिसका प्राविधान किये जाने हेतु मानचित्रों एवं प्रश्नोत्तरी में अंकित किया गया है।
- 2-पम्पस:- भूमिगत टैंक के पास 2280 एल0पी0एम0 क्षमता के 02 अदद में पम्प, इतनी ही क्षमता का एक अदद डीजल चालित पम्प तथा 02 अदद जौकी पम्प मानकों के अनुसार स्थापित कराये जाने वाँच्छनीय है।
- 3-टेरिस टैंक:-प्रश्नगत भवन की टेरिस पर टेरिस टैंक क्षमता 10,000 दस हजार ली0, स्थापित कराया जाना एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 4-होजरील:- प्रस्तावित भवन में प्रत्येक तल पर होजरील एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 3844 मानकों के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 5-वेटराईजर:- प्रस्तावित भवन में वेटराईजर एन0बी0सी0 एवं भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0-3844 मानकों के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 6-यार्ड हाईड्रेण्टस:- प्रस्तावित भवन में 150 एमएम का वेटराईजर का प्राविधान तथा उस पर यार्ड हाईड्रेण्टस एवं फायर सर्विस इन्लेट का मानकों के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 7-ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में ऑटोमेटिक स्पिंकलर सिस्टम एन0बी0सी0 एवं आई0एस0-15105-2002 मानकों के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 8-ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड एलार्म सिस्टम:- प्रश्नगत भवन में सम्पूर्ण तलों पर ऑटोमेटिक डिडेक्शन एण्ड फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 9-मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन के समस्त टावरो में मैनुवल आपरेटिड इलैक्ट्रिक फायर एलार्म सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 10-प्राथमिक अग्निशमन उपकरण (फायर एक्सटिंग्यूशर):- प्रस्तावित भवन में निर्माण के उपरान्त फायर एक्सटिंग्यूशर आई0एस0- 2190 के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 11-स्मोक एक्स्ट्रैक्शन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में स्मोक एक्स्ट्रैक्शन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 12-प्रेशराईजेशन:- प्रश्नगत भवन में प्रेशराईजेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय नहीं है।
- 13-एग्जिट साईनेज:- सम्पूर्ण भवन में एग्जिट साईनेज एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 14-पी0ए0 सिस्टम:- सम्पूर्ण भवन में पी0ए0 सिस्टम एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 15-फायर लिफ्ट:- प्रश्नगत प्रस्तावित भवन में 02 लिफ्टों का प्राविधान किया गया है, जिनमें फायर लिफ्ट के लिये एन.बी0सी. के एनेक्स सी में वर्णित प्रस्तर संख्या: क्यू के निर्देशों के अनुसार फायरमैन लिफ्ट की व्यवस्था की जानी अनिवार्य होगी।
- 16-कम्पार्टमेंटेशन:- प्रश्नगत भवन के बेसमेंट में कम्पार्टमेंटेशन एन0बी0सी0 मानक के अनुसार वाँच्छनीय है।
- 17-प्रश्नगत भवन में इमरजेन्सी/ स्केप लाईटिंग एन0बी0सी0-2005 पार्ट-4 में उल्लेखित प्राविधानों के अनुसार कराया जाना आवश्यक होगा।
- 18-भवन में निर्माण के पश्चात व उपयोग से पूर्व भवन में अधिष्ठापित अग्निशमन प्रणाली के कुशल संचालन व सदैव कार्यशील बनाये रखने हेतु एन0बी0सी0 पार्ट-4 के प्रस्तर सी0-5,सी-6,सी-7,सी-8 एवं सी-9 में उल्लेखित मानकों का पालन अनिवार्य होगा।
- 19-भवन के सम्पूर्ण अग्निशमन प्रणाली फायर लिफ्ट, स्टेयरकेसों व कोरीडोर की लाइटों को वैकल्पिक उर्जा स्रोत से पृथक लाइन (वायरिंग) फायर सेफ डक्ट से सुरक्षित करते हुये जोड़ा जाना आवश्यक होगा।

अतः उपरोक्तानुसार मैसर्स वी0जी0ए0 डवलपर्स प्रा0लि0, द्वारा प्लॉट न0 जीएच0-पी0-04, सेक्टर-25, जेपी0ग्रीन स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर भवन के निर्माण हेतु संशोधित प्रोवीजनल अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ निर्गत की जाती है कि आवेदक द्वारा भवन/इकाई में अग्नि से सुरक्षा सम्बन्धी सभी प्राविधान भवन निर्माण एवं विकास उपविधि-2010 तथा नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया-2005 एवं तत्समय पृवत्त किसी अन्य विधि में उल्लेखित मानकों के अनुसार कराये जायेंगे तथा भवन के निर्माणोपरान्त भवन का प्रयोग करने से पहले भवन में अग्नि से सुरक्षा व्यवस्थाएँ मानकों के अनुसार स्थापित कर उनका निरीक्षण/परीक्षण अग्निशमन विभाग से कराकर स्थाई अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जायेगा अन्यथा निर्गत किया जा रहा भवन निर्माण हेतु अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

संलग्नक: अनुमोदित मानचित्र अदद।

(एच0एस0 मजिस्ट्रेट)
उपनिदेशक, फायर सर्विस
मेरठ क्षेत्र।

प्रतिलिपि:1-संयुक्त निदेशक(पी0/ओ) उ0प्र0 अग्निशमन सेवा लखनऊ को सादर सूचनार्थ।

2-मुख्य अग्निशमन अधिकारी जनपद गौतमबुद्धनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3-अग्निशमन अधिकारी ईकोटेक-प्रथम ग्रेटर नोएडा, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

4-मैसर्स वी0जी0ए0 डवलपर्स प्रा0लि0, जेपी0ग्रीन स्पोर्ट सिटी (एसडीजैड) यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा जनपद गौतमबुद्धनगर को उक्त के सन्दर्भ में अनुपालनार्थ।